

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.8(10)नविवि/राआम/2020

जयपुर दिनांक - 10.07.2020

आदेश

माननीय विधायकों के निवास हेतु विधायक नगर (पश्चिम) में बहुमंजिले फ्लेट्स के निर्माण के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक आदेश प.1(48)नविवि/जयपुर/2019 दिनांक 10.10.2019 एवं संशोधित आदेश प.1(48)नविवि/जयपुर/2019 दिनांक 11.10.2019 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को नोडल एजेन्सी बनाया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण के स्थान पर राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को एतद्वारा नोडल एजेन्सी बनाया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से


(त्रिभुवनपति)

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधानसभा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- ✓ 6. शासन वरिष्ठ उप सचिव, नविवि को विभाग की साईट पर अपलोड हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय